

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 5 अगस्त, 2019

श्रावण 14, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 1446/79-वि-1-19-1(क)-3-19 लखनऊ, 5 अगस्त, 2019

अधिसूचना विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2 अगस्त, 2019 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने

के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 संक्षिप्त नाम कहा जाएगा।
 - (2) यह दिनांक ७ मार्च, २०१९ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनयम संख्या
29 सन् 1974
द्वारा
यथासंशोधित और
पुनः अधिनियमित
राष्ट्रपति
अधिनियम संख्या
10, सन् 1973
की धारा 4 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1—क) में, —

- (क) खण्ड (ख) में, शब्द ''फैजाबाद'' जहां कहीं आया हो, के स्थान पर शब्द ''अयोध्या'' रख दिया जायेगा;
- (ख) खण्ड (छ) में शब्द "इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद" के स्थान पर शब्द "प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज" रख दिये जायेंगे:
- (ग) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :--
 - ''(झ) एक विश्वविद्यालय, जिसे सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के रूप में जाना जायेगा;''
 - "(ञ) एक विश्वविद्यालय, जिसे आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के रूप में जाना जायेगा;"

धारा 50 का संशोधन 3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

- "(1—च) जब तक कि इस धारा के अधीन सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।"
- "(1—छ) जब तक कि इस धारा के अधीन आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।"

धारा 52 का संशोधन

- 4—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2—घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
 - "(2—ङ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उपबंधित किये जायें।"
 - "(2—च) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायें, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उपबंधित किये जायें।"

5-मूल अधिनियम की अनुसूची में, -

अनुसूची का संशोधन

(क) क्रम संख्या—2 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"2—चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

(एक) सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की स्थापना होने तक

बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले

(दो) सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की स्थापना हो जाने पर

बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ जिले

(ख) क्रम संख्या 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां, स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :--

1 2 3

6. डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, विश्वविद्यालय, अयोध्या बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले

(ग) क्रम संख्या—9 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

''9. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(एक) आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना होने तक

आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और मऊ जिले

(दो) आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना हो जाने पर

गाजीपुर और जौनपुर जिले

(घ) क्रम संख्या 12 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां, स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

1 2 3

12. प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और विश्वविद्यालय, प्रयागराज प्रयागराज जिले

(ङ) क्रम संख्या 14 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :--

''15. सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर''

मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले

"16. आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ"

आजमगढ़ और मऊ जिले

किनाइयों को दूर किया जाना

6—(1) राज्य सरकार, सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर तथा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना से सम्बंधित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

7—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश निरसित किया जाता है।

अध्यादेश संख्या सन् 2019

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उददेश्य और कारण

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का उत्तरतम जिला है और मण्डलीय मुख्यालय भी है। इसी प्रकार आजमगढ़ मध्य में अवस्थित है और यह भी मण्डलीय मुख्यालय है। चूंकि उक्त क्षेत्रों में कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था जिसके कारण वहां के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था अतः छात्रों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर, सहारनपुर और आजमगढ़ के प्रत्येक जिला में एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना आवश्यक हो गया था।

फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम क्रमशः अयोध्या और प्रयागराज के रूप में परिवर्तित किये जाने के संदर्भ में, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद और इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नामों को तदनुसार पुनर्नामित किया जाना था।

प्रो0 राजेन्द्र सिंह के उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज के रूप में पुनर्नामित किया गया था।

अतएव सहारनपुर और आजमगढ़ के प्रत्येक जिला में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने और यथा पूर्वोक्त विश्वविद्यालयों के नामों में परिवर्तन किये जाने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कियान्वित करने के लिए त्रन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2019) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह-II. प्रमुख सचिव।

No. 1446(2)/LXXIX-V-1-19-1(Ka)3-19 Dated Lucknow, August 5, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 2019. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2019

(U.P. Act No. 6 of 2019)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

संख्या

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2019.

Short title and commencement

Amendment of

President's Act

no. 10 of 1973 as amended and

re-enacted by

U.P. Act no. 29

section 4 of

- (2) It shall be deemed to have come into force on March 7, 2019.
- 2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1-A),-
 - (a) in clause (b) for the word "Faizabad" wherever occurring the word "Ayodhya" shall be substituted;
 - (b) in clause (g) for the words "Allahabad State University, Allahabad" the words "Professor Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj" shall be of 1974 substituted.
 - (c) after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - "(i) a University to be known as Saharanpur State University, Saharanpur;"
 - "(j) a University to be known as Azamgarh State University, Azamgarh;"
- 3. In section 50 of the principal Act, after sub-section (1-E), the following subsections shall be inserted, namely:-

Amendment of section 50

- "(1-F) Until the First Statutes of the Saharanpur State University, Saharanpur are made under this section, the Statutes of the University of Chaudhary Charan Singh University, Meerut, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."
- "(1-G) Until the First Statutes of the Azamgarh State University, Azamgarh are made under this section, the Statutes of the University of Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."
- 4. In section 52 of the principal Act, after sub-section (2-D) the following subsections shall be inserted, namely:-
 - "(2-E) Until the First Ordinances of the Saharanpur State University, Saharanpur are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Chaudhary Charan Singh University, Meerut, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification provide."

Amendment of section 52

"(2-F) Until the First Ordinances of the Azamgarh State University, Azamgarh are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification provide."

Amendment of Schedule

- In the Schedule to the principal Act, -5.
- (a) for the entries appearing at Serial no.2, the following entries shall be substituted, namely:-
 - Chaudhary Charan Singh University, Meerut -"2.
 - (i) Until the establishment of Saharanpur State the University, Saharanpur

Districts of Bhaghpat, Bulandshahr, Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, Hapur, Meerut, Muzaffar Nagar, Saharanpur and Shamli.

(ii) Upon the establishment of Saharanpur State the University, Saharanpur

Districts of Bhaghpat, Bulandshahr, Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, Hapur and Meerut.

(b) for the entries at serial no.6, the following entries shall column-wise be substituted, namely:-

3 Districts of Ambedkar Nagar, Ayodhya, Manohar Ram 6. Doctor Bara Banki, Gonda and Bahraich, Lohia Avadh University, Sultanpur. Ayodhya

- (c) for the entries appearing at Serial no.9 the following entries shall be substituted, namely:-
 - "9. Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur -
 - (i) Until the establishment of the Districts of Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur and Mau. Azamgarh State University, Azamgarh
 - (ii) Upon the establishment of the Azamgarh State University, Azamgarh

Districts of Ghazipur and Jaunpur.

(d) for the entries at serial no.12, the following entries shall column-wise be substituted, namely:-

1 3 12. Professor Rajendra Singh Districts of Fatehpur, Kaushambi, (Rajju Bhaiya) Pratapgarh and Prayagraj. University, Prayagraj

(e) after serial no. 14, the following serials shall be inserted, namely:-

"15. Saharanpur State University, Saharanpur"

District of Muzaffar Nagar, Saharanpur and Shamli.

"16. Azamgarh State University, Azamgarh"

Districts of Azamgarh and Mau.

Removal of difficulties

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of the Saharanpur State University, Saharanpur and Azamgarh State University, Azamgarh by order published in the Gazette, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2019.

(2) The order issued under sub-section (1) shall be laid before each house of the State Legislature.

ないない

Repeal and saving

7. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 1 of 2019

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in subsection (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Saharanpur is the northernmost district of Uttar Pradesh and is also a divisional headquarter. Similarly, Azamgarh is centrally located and it is also a divisional headquarter. Since, there was no State University in the said areas due to which the students thereof were facing difficulties in seeking higher education. On the demand of the students and the public representatives, it had become necessary to establish a State University in the each of districts of Saharanpur and Azamgarh.

With reference to change of names of Faizabad and Allahabad as Ayodhya and Prayagrai respectively, the names of the Doctor Ram Manohar Lohiya Awadh University, Faizabad and Allahabad State University, Allahabad had to be renamed accordingly.

In respect of excellent contribution of Professor Rajendra Singh the State University Allahabad

had been renamed as 'Professor Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj'.

It was therefore been decided to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to establish a State University in each district of Saharanpur and Azamgarh and changing the names of the Universities as aforesaid.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2019 (U.P. Ordinance no. 1 of 2019) was promulgated by the Governor on March 07, 2019.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order, J.P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 185 राजपत्र—(हिन्दी)—2019—(553)—599 प्रतिया—(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ६२ सा० विधायी—२०१९—(५५४)—३०० प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।